नंबर ...य उपखण्ड अधिकारी कठूमर जिला अलवर

अधिवक्ता का 2/315/22 तारीख रजू ....

बनाम

मंजू उम्मेदी वगैरा

...ख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामिल में जारी हुए
17.11.2022	वकील प्रार्थी उपस्थित। यह प्रार्थना पत्र 212 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम वकील प्रार्थी ने मूल वाद के साथ पेश किया। प्रार्थना पत्र की ताईद मे वकील सायला ने शपथ पत्र ,नकल जमाबंदी पेश की व अप्रार्थीगण को पाबंद कराने का निवेदन किया वकील सायल को एक पक्षीय सुना गया व पत्रावली पर उपलब्ध रिकॉर्ड का अवलोकन किया गया। प्रथम दृष्टया केस व सुविधा का संतुलन एवं ना पूर्ति होने वाली क्षति सायल के,पक्ष में बखूबी सावित है। अतः उभयपक्षकारान् को जर्ये अन्तरिम अस्थाई निषेधाज्ञा आगामी तारीख पेशी तक पाबंद किया जाता है कि विवादीत आराजीयात खसरा नम्बर 950, 939/1070, 940/1069, 951, 949, 926, 934, 331, 331/1306, 330, 330/1307, 457, 458, 460, 462, 480/1071, वाके ग्राम खेडामैदा तहसील कठूमर की रिकॉर्ड एवं मौके की यथास्थिति बनाये रखें। चूंकि एक्स पार्टी स्थगन जारी किया जा रहा है। ऐसे में अप्रार्थी में से किसी के उपस्थित होकर बहस के लिऐ कहने पर बकिल प्रार्थी गण अनिर्वात बहस करनी होनी अन्यथा एक्स पार्टी स्थगन स्वतः निरस्त समक्षा जावेगा। अप्रार्थीण को नोटिस हो कि उक्त आदेश बाबत् कोई उज्र हो तो दिनांक 05.12.2022 को पेश करें कि क्यों ना उक्त आदेश को दावा के निर्णय तक स्थाई कर दिया जावे। अप्रार्थी जरिये नोटिस रजि0 डाक से तलब होकर पत्रावली दिनांक 05.12.2022 को वास्ते तलबी अप्रार्थी पेश हो। उपखण्ड अधिकारी कठूमर (अलवर) राज0	
5/12/22	वकील प्रार्थी .... उपस्थित। गत आदेश दिनांक .... 17.11.22 की पालना में .... वी .... दिनांक .... 13.2.23 .... को पेश हो। स्थगन की अवधि नियत दिनांक तक बढाई जाती है। उपखण्ड अधिकारी	

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व ... जो इस ... में ...
07.1.23	पत्रावली आज वकील प्रार्थी के प्रार्थना पत्र पर मूल वाद के साथ पेश हुई। वकील वादीगण ने प्रार्थना पत्र पेश कर अपने प्रार्थना-पत्र 72 RTA को इसी स्टेज पर विड्रॉ कराने का निवेदन किया। पत्रावली व प्रार्थना पत्र का अवलोकन किया। आदेशिका पर प्रार्थीगण के हस्ताक्षर मय वकील प्रार्थी के पहचान करायी गई। अतः प्रार्थी का प्रार्थना-पत्र 72 RTA प्रार्थीगण के प्रार्थना के आधार पर इसी स्टेज प्रत्याहरित किया जाता है। पत्रावली मिसल शामिल होकर नम्बरान से कम हो बाद तकमील मूल वाद के साथ शामिल रिकार्ड हो। (हस्ताक्षर) उपखण्ड अधिकारी कठूमर (अलवर) राज०	लक्ष्मी देवी हम अपना वाद चलाना नहीं चाहते हैं (हस्ताक्षर) (हस्ताक्षर)